सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-610
14/12/2017

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री का सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के बखरी ग्राम का भ्रमण, शराबबंदी, नशामुक्ति के साथ–साथ दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला बनाकर अपनी भावना का प्रकटीकरण करें :– मुख्यमंत्री

पटना, 14 दिसम्बर 2017 :– विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के बखरी ग्राम का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सात निश्चय के कार्यक्रमों की प्रगति को उन्होंने देखा एवं ग्रामवासियों से इस संबंध में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने वार्ड के पक्की गली, नाली योजना अंतर्गत निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ग्रामवासियों ने अपनी जिन समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा उसे ध्यान से उन्होंने सुना। गांव के भ्रमण के पश्चात लगाए गए विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया। स्वच्छता मंडप, जीविका द्वारा लगाये गये स्टॉलों यथा– महिला हेल्पलाइन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के स्थलों का निरीक्षण किया। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, कृषि यांत्रिकरण से संबंधित स्टॉलों को भी देखा।

इस अवसर पर बखरी में आयोजित समारोह का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने 439 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन रिमोट के माध्यम से किया। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉ जानकी सीता की धरती को मैं नमन करता हूँ। आज मुझे यहॉ आकर आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है। 3 फरवरी 2009 को हम इसी स्थान पर टेंट में रात को ठहरे थे। संवाद कार्यक्रम हुआ था, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ था। इस बार समीक्षा यात्रा के लिए हमने 2009 में जिन 19 गांव में रुके थे, वहां जाने का निर्णय किया है ताकि वहां जाकर विकास कार्यों की समीक्षा देखें। कार्यों का क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है, उसकी समीक्षा करूँ। दूसरा मकसद समाज में जो कुरीतियां है अगर वह दूर नहीं होंगी तो हम विकास के उस स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। 9 जुलाई 2015 को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी का निर्णय लिया। 1 अप्रैल 2016 से गांव में हर तरह के शराब पर पाबंदी लगा दी गई और 5 अप्रैल 2016 से पूरी तरह से हर जगह पर बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गयी। इस निर्णय के पूर्व बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया था। शराब के कारण परिवार उजड़ रहा था, गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा था। शराबबंदी के बाद वही पैसा भोजन पर, पढ़ाई पर तथा परिवार के कल्याण में खर्च होता है। कोई झगड़ा नहीं होता है और घर का

वातावरण ठीक हो गया। चंद लोग इसे शराब पीने को अपनी आजादी से जोड़कर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि शराब पीना तथा इसका कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग के लोग कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन जन चेतना को बरकरार रखना पड़ेगा। हाल ही में रोहतास जिले और वैशाली जिले में जहरीली शराब पीने से मौत की बात सामने आई है। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि लोगों को समझाइए। दो नंबरी कारोबारी आपको जहरीला शराब पिलाकर मार देगा। आप निरंतर बातचीत कर समझाते रहिए, सरकारी तंत्र की शक्ति और आप लोगों के अभियान से इसमें जरुर सफलता मिलेगी। इस बात के लिए भी सावधानी रखनी है की शराब पीने वाले लोग छोड़ने के बाद नशीले पदार्थ के सेवन न करने लगें। इसी वर्ष 21 जनवरी को चार करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर शराबबंदी के खिलाफ अपनी भावना का प्रकटीकरण किया था। शराबबंदी से महिलाओं और युवाओं में खुशी है। सरकार ने शराबबंदी और नशामुक्ति के खिलाफ और सख्ती बरतने के लिए एक अलग विभाग बनाया है, जिस में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं अधिकारी होंगे, जो इस कारोबार में लिप्त लोगों पर नजर रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली सब जगह पहुंच गई है। हर जगह ट्रांसफार्मर पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर पुलिस विभाग एवं मद्य निषेध विभाग का नंबर होगा जो भी इधर उधर करता है, उस नंबर पर फोन कीजिए, आपका नाम उजागर नहीं होगा लेकिन आपको इस पर क्या कार्यवाही है, इसकी सूचना मिल जाएगी। सरकारी लोग भी लिप्त होंगे तो उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। शराबबंदी के लिए देश भर में भी आवाज उठने लगी है बिहार में सामाजिक परिवर्तन पर लोग अध्ययन कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में क्या बदलाव हो रहा है, इसको लोग देखने–समझने आ रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक की टीम आई थी, बिहार के कामों की चर्चा देश और देश के बाहर हो रही है। इतनी बड़ी आबादी में कैसे इतनी मजबूती से लागू किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संवाद कार्यक्रम में एक महिला ने कहा कि शराबबंदी लागू तो करके आप ने अच्छा काम किया। दहेज प्रथा बुरी चीज है इसे भी बंद कीजिए हमलोगों ने इस पर विचार–विमर्श किया और निर्णय किया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों को समाप्त करना है। बाल विवाह का कानून पहले से बना हुआ है। बाल विवाह के कितने नुकसान हैं। 18 साल से कम उम्र में गर्भधारण करने से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। बहुत तरह की परेशानियां होती है और जो बच्चे पैदा होते हैं वे बौनेपन के शिकार हो जाते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा अपराध के आंकड़े जारी होते हैं, उस अपराध में बिहार का 22वा नंबर है। दहेज के चलते उत्पीड़न से इसकी संख्या बहुत है। अगर दहेज प्रथा बंद हो जाएगा तो अपराध के मामले में बिहार बहुत नीचे चला जाएगा। अपराध के लिए महिलाओं पर हिंसा एवं जमीन विवाद का झंझट प्रमुख है। अगर इन दो चीजों पर लगाम लग जाए तो अपराध पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। जमीन विवाद के निपटारे के लिए हम लोग काम में लगे हुए हैं, नए सिरे से सर्वेक्षण का काम हो रहा है। नए सर्वेक्षण से विवाद खत्म हो जाएगा, सिर्फ विकास का एक काम नहीं अनेक काम हुआ है। हर घर में शौचालय, हर घर में नल का पानी, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर तक पक्की गली सबको उपलब्ध हो जाए। जो गांव की सड़क से छूट गया है उसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना और जो टोला छूट गया है उसके लिए टोला निश्चय योजना से जोड़ दिया जाएगा। कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप में बहुत सारी योजनाएं हैं। कृषि का विकास हुआ है, उत्पादन बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ी है। आज से 39 दिन बाद 21 जनवरी 2018 को, जो रविवार का दिन है, शराबबंदी, नशामुक्ति के साथ–साथ दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला

बनेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उसमें शामिल होइये, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी भावना का प्रकटीकरण कीजिए। इस बार की मानव श्रृंखला हर ब्लॉक से होते हुए जिला से जुड़ेगा और फिर पूरा बिहार जुड़ेगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी दहेज ले उस शादी में शामिल मत होइए, आप मन बना लीजिए तो इसका प्रभाव पड़ेगा। कितनी जगहों पर लोग दहेज लौटा रहे हैं। हम उस शादी में जाते हैं जो दहेज मुक्त हो और जो दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं हम उन्हें बधाई देने भी जाते हैं। न्याय के साथ विकास हो रहा है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, कानून के राज में कानून का पालन होगा। भ्रष्टाचार पर कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमलोग चंपारण शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। बापू कहा करते थे कि यह धरती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है लेकिन लालच को नहीं। लालच का भाव बहुत खतरनाक होता है, जागरुकता बनाए रखिए। सीतामढ़ी बाढ़ से प्रभावित रहा है, आपदा प्रभाव को कम करने के लिए योजना बनाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। इस बार बाढ़ से 40 लाख परिवार प्रभावित हुए थे। हमलोग आपदा संबंधी जो भी उपाय किए थे, साथ ही प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6000 प्रदान किया गया। बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के तौर पर 900 करोड़ रुपये सरकार ने जारी किया है। अभी जिलाधिकारी, सीतामढ़ी से मैंने पूछा कि सभी लोगों को वितरण हुआ कि नहीं। उन्होंने बताया 50 प्रतिशत परिवार को मिल चुका है। मैंने कहा है कि 5 से 7 दिन के अंदर में सबको मिल जाना चाहिए। बाढ़ के दौरान जो घर सड़कें, बांध ध्वस्त हुए थे, उसकी मरम्मती का कार्य हो रहा है। धान अधिप्राप्ति में विलंब का कारण नमी का प्रतिशत था, जो आज ही केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। 17 प्रतिशत से 19 प्रतिशत को मंजूरी दे दिया है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं।

मुख्यमंत्री ने दहेज मुक्त एवं अंर्तजातीय विवाह करने वाले जोड़े श्री शिवेंद्र नारायण एवं श्रीमती अभिलाषा को सर्टिफिकेट प्रदान किया एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

सभा को नगर विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश शर्मा, सांसद श्री राम कुमार शर्मा, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक, विधान पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधिगण, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।

******